Case No :- 27/2021
UCMS No :- 2021/102

13/7/21 पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लो. सू. अ. (तहसीलदार) रायपुर के विरूद्ध पेश की गई थी। तहसीलदार रायपुर ने जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/46 दि. 9/4/21 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांट को जरिये पत्रांक/सू.अ./2021/32 दिनांक 10/3/21 के सूचना उपलब्ध करवा दि गई हैं तथा सूचना के अधिकार के तहत सूचना संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है इस बाबत इस न्यायालय के पत्रांक 903 दिनांक 18/6/21 के जरिये भी अपीलांट को अवगत कराया कि लो. सू. अ. (तहसीलदार) रायपुर के समक्ष सूचना से सम्बन्धित विशिष्टियों का अंकन कर आवेदन कर सूचना प्राप्त करें। अत: हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अत: हस्तगत प्रकरण में अन्य कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:39:21 IST
Reason: SelfAttested